टेराकोटा अपनाएं, खूब लाभ कमाएं

डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा की बना सकते हैं परियोजना, 25 फीसद तक अनुदान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर : टेराकोटा हस्तशिल्पियों के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना खोल दिया है। एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) में चयनित टेराकोटा हस्तशिल्पी डेढ़ करोड़ रुपये से भी ज्यादा लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 25 फीसद तक अनुदान मिलेगा।

खास बात यह है कि प्रदेश सरकार ने अनुदान के लिए चिह्नित टेराकोटा उत्पाद इकाइयों से जुड़े लोगों की शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं रखी है। यानी बिना पढ़े-लिखे हस्तशिल्पी भी योजना का लाभ उठा सकेंगे।

यह करना होगा : सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 फीसद खुद के अंशदान के रूप में जमा करना होगा। विशेष श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग अभ्यर्थियों को लागत का पांच फीसद अंशदान के रूप में जमा करना होगा।

यह है शर्त : आयु कम से कम 18 वर्ष हो, शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं, चिह्नित उत्पाद टेराकोटा उत्पाद की इकाइयां आवेदन कर सकती हैं, आवेदक डिफाल्टर न हो, किसी अन्य योजना का लाभ न लिया हो।

टेराकोटा •जागरण

आवेदकों को निर्धारित प्रारूप पर योजना से संबंधित अभिलेख उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र में 15 जुलाई तक जमा करने होंगे। प्रारूप कार्यालय से निशुल्क दिया जा रहा है।

पूजा श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग

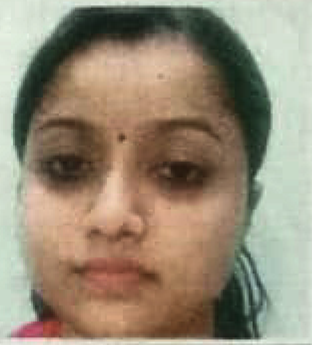

फैक्ट फाइल

- 25 लाख तक की कुल परियोजना लागत पर 25 फीसद या 6.25 लाख रुपये (दोनों में जो कम हो) का अनुदान मिलेगा
- 25 लाख से 50 लाख रुपये तक 6.25 लाख या लागत का 20 फीसद (जो ज्यादा हो) मिलेगा
- 50 लाख रुपये से ज्यादा की लागत पर 10 लाख या 10 फीसद (जो अधिक हो) का अनुदान मिलेगा
- डेढ़ करोड़ से अधिक की लागत पर 10 फीसद या अधिकतम 20 लाख रुपये (जो ज्यादा हो) का अनुदान मिलेगा